



सुरक्षा कवच

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)



अंक 3



इस अंक में शामिल

- घरेलू गतिविधियां
 - शासन
 - पंजीकृत बैंक
 - कवरेज
 - जमा बीमा निधि
 - जन जागरूकता
- अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच
 - आईएडीआई के साथ जुड़ाव



संपादक की कलम से



श्री अनूप कुमार
संपादक
मुख्य महाप्रबंधक
डीआईसीजीसी

हमें सेफ्टी नेट (सुरक्षा कवच) का तीसरा अंक जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह अंक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही तरह की गतिविधियों और आउटरीच पर प्रकाश डालता है।

घरेलू गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जमा बीमा में प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में निगम की संचार कार्यनीति और कार्यकलापों पर प्रकाश डालती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच संबंधी भाग में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉजिट इंश्योर्स (आईएडीआई) के साथ डीआईसीजीसी की सहभागिता को दर्शाया गया है।

घरेलू गतिविधियां

अध्यक्ष की नियुक्ति



भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. को 15 जनवरी 2025 से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। निगम की 274वीं बोर्ड बैठक 20 मार्च 2025 को मुंबई में श्री स्वामीनाथन जे. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में बोर्ड के सदस्य श्री अर्णब कुमार चौधरी, श्री पंकज शर्मा, श्री शाजी के.वी., प्रो. पार्थ रे और डॉ. तरुण अग्रवाल शामिल थे।

शासन

निदेशकों और समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक

27 जनवरी 2025 को भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 17 (निदेशकों और समितियों के सदस्यों का पारिश्रमिक) में संशोधन के साथ निदेशकों और समितियों के सदस्यों के पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है और यह 01 फरवरी 2025 से प्रभावी है।

डीआईसीजीसी ने 19 सितंबर 2024 को आरबीआई नागपुर में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. एम. डी. पात्र की अध्यक्षता में "रोडमैप टू रिज़िलियन्स" विषय पर एक कार्यनीति बैठक आयोजित की।



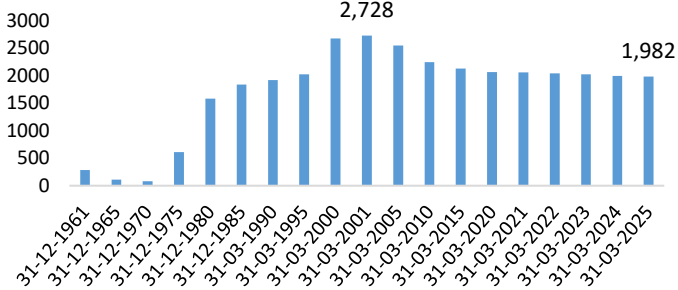
पंजीकृत बैंक

भारत में जमा बीमा योजना उन सभी बैंकों (वाणिज्यिक और सहकारी) के लिए अनिवार्य है जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 2 बैंकों (1 विदेशी बैंक और 1 राज्य सहकारी बैंक) को डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत किया गया और 17 बैंकों (2 वाणिज्यिक बैंक और 15 सहकारी बैंक) का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

	वर्ष के दौरान पंजीकृत बैंक	वर्ष के दौरान विपंजीकृत बैंक
वाणिज्यिक बैंक	यूबीएस एजी	- फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक - क्रेडिट सुइस एजी
सहकारी बैंक	दमन और दीव: दमन और दीव राज्य सहकारी बैंक	- आंध्र प्रदेश: (i) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, (ii) दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड - असम: महाभैरव को-ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड। - बिहार: द वैशाली शहरी विकास को-ऑप बैंक लिमिटेड,, - गोवा: सिटीजन को-ऑप. बैंक लिमिटेड, - कर्नाटक: नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंगलोर - महाराष्ट्र: (i) सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (ii) राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, (iii) अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, (iv) पुणे कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, (v) जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, - तमिलनाडु: कुड्डालोर और विल्लिपुरम डी. सी. को-ऑप. बैंक, - तेलंगाना: यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, - उत्तर प्रदेश: (i) पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक, (ii) बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक

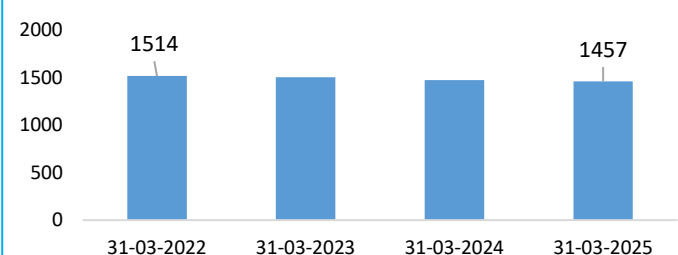
परिणामस्वरूप, पंजीकृत बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के 1,997 से घटकर 31 मार्च 2025 तक 1,982 रह गई। 2001 से, जब पंजीकृत बैंकों की संख्या सबसे अधिक 2,728 थी, तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है।

पैनल ए: पंजीकृत बैंकों की संख्या



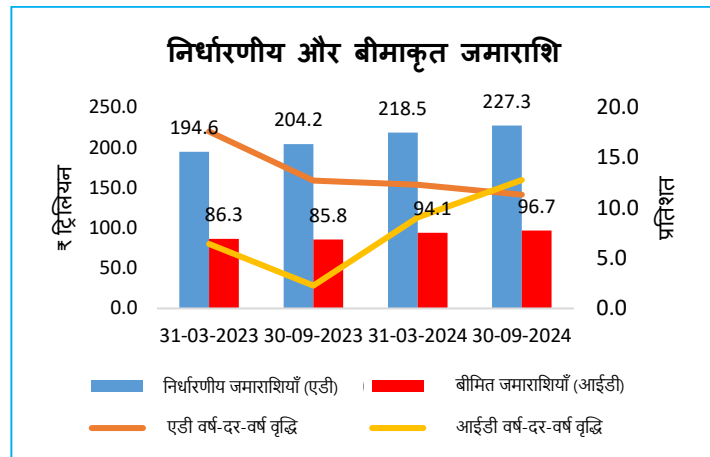
पंजीकृत बैंकों में 139 वाणिज्यिक बैंक और 1,843 सहकारी बैंक शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों में 77 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 11 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 6 भुगतान बैंक (पीबी) और 2 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल हैं। सहकारी बैंकों में 1,458 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल हैं।

पैनल बी: पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों की संख्या



जमा बीमा कवरेज

कुल निर्धारणीय जमाराशि, अर्थात जमा बीमा के लिए पात्र जमाराशि, सितंबर 2024 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष 11.3% बढ़कर ₹227.26 ट्रिलियन हो गई, जबकि बीमाकृत जमा में मामूली रूप से 12.8% की वृद्धि हुई।



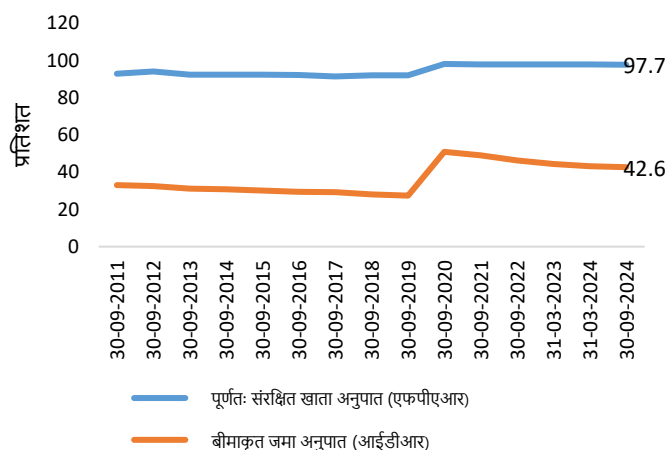
निर्धारणीय जमाराशि

निर्धारणीय जमा में सभी बैंक जमाराशि शामिल हैं, सिवाय (i) भारत सरकार, राज्य सरकारों और विदेशी सरकारों की जमा राशियों के; (ii) अंतर-बैंक जमा राशियों के; (iii) भारत के बाहर प्राप्त जमा राशियों के; और (iv) रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमा राशियों के।

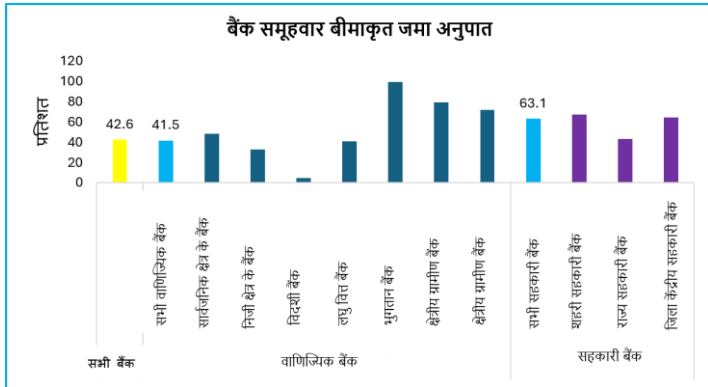
कवरेज अनुपात

जमा बीमा की वर्तमान कवरेज सीमा 'समान क्षमता और समान अधिकार' में रखे गए जमा खातों के लिए बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता के लिए ₹5 लाख है, जो 4 फरवरी 2020 से प्रभावी है। इस कवरेज सीमा के अंतर्गत, 30 सितंबर 2024 तक पूर्णतः संरक्षित जमा खातों का हिस्सा 97.7% था, जो 2020 से लगातार लगभग 98% बना हुआ है। बीमाकृत जमा अनुपात (कुल निर्धारणीय जमा में बीमाकृत जमा का हिस्सा) 42.6% था, जो 2020 में लगभग 50.9% से कम हो गया है।

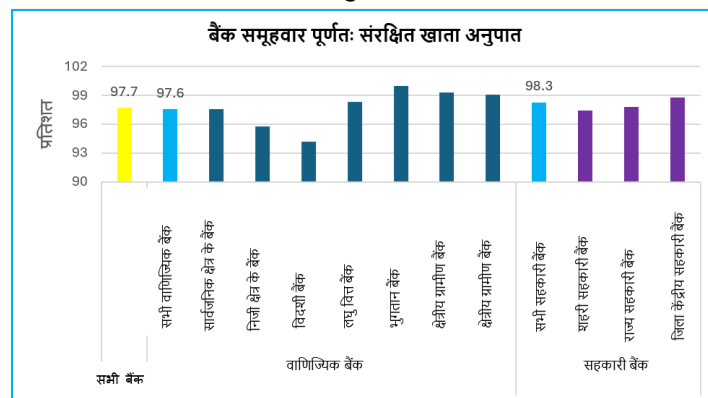
बीमाकृत जमा अनुपात और पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात



सहकारी बैंकों का बीमाकृत जमा अनुपात 63.1% था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का बीमाकृत जमा अनुपात 41.5% था।



इसी प्रकार, सहकारी बैंकों में पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात 98.3% था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुपात 97.6% था।



निधियों के स्रोत और उपयोग

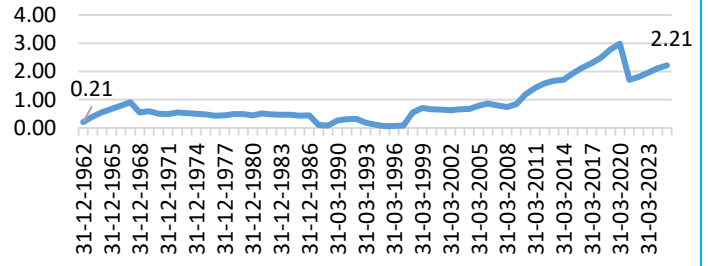
प्रीमियम

डीआईसीजीसी जमा बीमा प्रदान करने के लिए बैंकों से कुल निर्धारणीय जमाराशियों पर 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष की एक समान दर से प्रीमियम वसूलता है। 2024-25 के दौरान, प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम ₹26,764 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

जमा बीमा निधि

डीआईसीजीसी परिसमापन/समामेलन या सर्व-समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए एक निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का रखरखाव करता है। इस निधि का निर्माण इसके अधिशेष, अर्थात् प्रत्येक वर्ष करों को घटाकर व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान और संबंधित व्यय) की तुलना में आय (जिसमें मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से प्राप्त ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों के परिसमापन से प्राप्त नकदी शामिल है) की अधिकता, के अंतरण के माध्यम से किया गया है। 30 सितंबर 2024 तक आरक्षित निधि अनुपात (अर्थात् निक्षेप बीमा निधि/बीमाकृत जमा) कुल बीमाकृत जमा का 2.21 प्रतिशत था (पिछले वर्ष 2.02 प्रतिशत)। 31 मार्च 2025 तक डीआईएफ 2,29,742 करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च 2024 के 1,98,753 करोड़ रुपये से 15.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

आरक्षित निधि अनुपात (%)



जन जागरूकता: डीआईसीजीसी संचार कार्यनीति और गतिविधियाँ नई वेबसाइट और मैस्कॉट

नई आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन 05 नवंबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर और डीआईसीजीसी के अध्यक्ष डॉ. माइकल डी. पात्र द्वारा किया गया। यह उपलब्धि सामान्य जन तक संचार और पहुंच को बेहतर बनाने के निगम के प्रयासों में एक उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। बीमित बैंकों की वेबसाइट पर डीआईसीजीसी के क्यूआर कोड और लोगो के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, डीआईसीजीसी वेबसाइट पर आवागमन कई गुना बढ़ गया है। वेबसाइट लॉन्च के साथ ही, डीआईसीजीसी ने अपने नए मैस्कॉट, डीआईए, बुद्धिमान उल्लू का अनावरण किया। डीआईए में 'डीआई' का अर्थ डीआईसीजीसी है, जबकि 'ए' का अर्थ असिस्टेंट है, जो अपने हितधारकों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की डीआईए की प्राथमिक भूमिका को उजागर करता है।

सोशल मीडिया उपस्थिति

डीआईसीजीसी ने 'dicgc.india' यूजरनेम के अंतर्गत एक इंस्टाग्राम अकाउंट और @dicgcindia हैंडल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी डिजिटल उपस्थिति का विस्तार किया है। इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और यूट्यूब चैनल पर द्विभाषी जन जागरूकता वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं।

जन जागरूकता सामग्री

डीआईसीजीसी ने पब्लिक ऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनात्मक वीडियो शुरू और साझा किए हैं। वीडियो प्रारूप यह सुनिश्चित करता है कि प्रमुख संदेश विविध दर्शकों तक सरल और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से पहुंचाए जाएं।

इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान, जो संयोगवश दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है, रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता स्थल पर द्विभाषी जन जागरूकता सामग्री (नए डिज़ाइनों के साथ) प्रदर्शित की गई।

दावा निपटान/प्रतिपूर्ति

2024-25 के दौरान, निगम द्वारा निपटाए गए कुल दावे ₹476 करोड़ के थे।

सिंगल कस्टमर व्यू

डीआईसीजीसी ने सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लिकेशन शुरू किया है। यह एप्लिकेशन बैंकों को जमाकर्ता स्तर तक खाता स्तर की जानकारी एकत्र करने और जमाकर्ता सूची तैयार करने में सक्षम बनाएगा। यह एप्लिकेशन 'समान अधिकार और समान क्षमता' वाले खातों को एकत्रित करेगा और यदि कोई ऋण राशि हो तो उसे समायोजित कर बीमाकृत राशि निर्धारित करेगा। यह एप्लिकेशन कार्यान्वयन के पहले चरण के तहत बैंकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। देश भर के कई केंद्रों में एससीवी एप्लिकेशन पर परिचयात्मक सत्र आयोजित किए गए हैं।

अपने डीआईसीजीसी को जाने

बीमा परिचालन विभाग

डीआईसीजीसी का बीमा परिचालन विभाग (आईओडी) भारत में जमा बीमा योजना के लिए बैंकों के पंजीकरण और विपंजीकरण तथा बीमाकृत बैंकों से प्रीमियम संग्रह से संबंधित सभी पहलुओं को देखता है।

भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना अनिवार्य है। तदनुसार, विभाग बीमाकृत बैंकों के पंजीकरण और विपंजीकरण को प्रोसेस करता है और फिर डीआईसीजीसी वेबसाइट पर बीमाकृत बैंकों, विपंजीकृत बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्व-समावेशी निदेशों के तहत बैंकों की सूची को अद्यतन करता है। विभाग इंटीग्रेटेड एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन (आईएसएसएस) पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक बीमाकृत बैंक की कुल निर्धारणीय और बीमाकृत जमा राशियों की गणना और अर्ध-वार्षिक प्रीमियम की बुकिंग में शामिल है। निगम ₹5 लाख की कवरेज सीमा के भीतर जमा राशियों का बीमा करने के लिए बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्र करता है। बीमाकृत बैंक प्रति वर्ष निर्धारणीय जमा राशियों के प्रति ₹100 पर 12 पैसे की दर से डीआईसीजीसी को प्रीमियम का भुगतान करते हैं। प्रीमियम का भुगतान प्रत्येक वित्तीय छमाही की शुरुआत से दो महीने के भीतर अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाता है, जो पिछली छमाही के अंत में उनकी जमा राशियों के आधार पर होता है। प्रीमियम के साथ एक जमा बीमा (डीआई) रिटर्न भी होता है, जो निर्धारणीय जमा राशियों का विवरण प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच

आईएडीआई रिपोर्ट 'संकट की तैयारी का परीक्षण और प्रबंधन: अवलोकन, अभ्यास और अनुभव' - मुख्य बिंदु

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) ने 'संकट की तैयारी और प्रबंधन का परीक्षण: अवलोकन, अभ्यास और अनुभव' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं।

रिपोर्ट में आईएडीआई सदस्यों के बीच संकट की तैयारी और प्रबंधन के लिए परीक्षण कार्यक्रमों के विकास की समीक्षा करने, उभरती प्रथाओं की पहचान करने और तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षण का उपयोग कैसे किया जाता है- इस पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक शोध परियोजना के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट परीक्षण कार्यक्रमों और वास्तविक संकट की घटनाओं के बीच संबंधों की भी जाँच करती है। यह रिपोर्ट सर्वेक्षण में शामिल उन्नीस आईएडीआई सदस्यों की प्रतिक्रियाओं और छह केस स्टडीज़ से प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत करती है।

- समय के साथ परीक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य और कार्य-क्षेत्र विस्तृत हुआ है: कई क्षेत्राधिकारों में, परीक्षण कार्य शुरू में तदर्थ आधार पर किए जाते थे, जो आम तौर पर जमा बीमाकर्ताओं की नीतियों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन और भुगतान एवं परिसमापन प्रबंधन की क्षमता के सत्यापन पर केंद्रित होते थे। जैसे-जैसे परीक्षण कार्यक्रम परिपक्व होते गए हैं, जमा बीमाकर्ता परीक्षण के लिए अधिक कठोर दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें वार्षिक या बहु-वर्षीय आवृत्ति और परीक्षण प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की स्पष्ट प्रक्रियाएँ शामिल हैं। कई मामलों में, परीक्षण का कार्य-क्षेत्र रेज़ोल्यूशन की तैयारियों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा और तृतीय-पक्ष जोखिम जैसे विषयों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ है। आईएडीआई सदस्यता में आयोजित परीक्षण कार्यों में अन्य सुरक्षा-कवच सदस्यों, विदेशी प्राधिकरणों और अन्य बाह्य हितधारकों को अधिक बार शामिल किया गया है, जो विशेष रूप से प्रणालीगत जोखिम का प्रबंधन करते समय व्यापक जुड़ाव और पूर्व-समन्वय के महत्व को दर्शाता है।
- परीक्षण को वास्तविक संकट की घटनाओं से जोड़ना: विफलताओं से निपटने के हालिया अनुभव वाले क्षेत्राधिकारों ने पाया है कि इन

परीक्षण अभ्यासों से उनकी संकट प्रतिक्रिया को लाभ हुआ है। विफलताओं और लगभग विफलता की घटनाओं ने नए परिदृश्यों के विकास और भविष्य के परीक्षण विषयों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है।

- चुनौतियाँ: समर्पित वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी प्राथमिक कारण है कि कुछ क्षेत्राधिकारों में परीक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए हैं। लगातार परीक्षण से लाइव मामलों का प्रबंधन करते समय, समय पर और समन्वित कार्रवाई हो सकती है।

भविष्य में, आईएडीआई सदस्यों को अपने क्षेत्राधिकारों में किए गए अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि परिदृश्यों, संसाधनों और संबंधित सीख को सर्वोत्तम तरीके से कैसे साझा किया जाए।

स्रोत: आईएडीआई, संकट की तैयारी और प्रबंधन का परीक्षण: अवलोकन, अभ्यास और अनुभव - आईएडीआई | इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स

आईएडीआई के साथ जुड़ाव

डीआईसीजीसी 2005 से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) का सदस्य रहा है। डॉ. दीपक कुमार की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, डीआईसीजीसी के कार्यपालक निदेशक, श्री अर्णब कुमार चौधरी को आईएडीआई में डीआईसीजीसी के नामित प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया। उन्हें आईएडीआई की तीन परिषद समितियों, अर्थात् विश्लेषण, नीति और कार्यान्वयन परिषद समितियों, और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था।

आईएडीआई में डीआईसीजीसी के योगदान को बढ़ाने के लिए, डीआईसीजीसी के अधिकारियों को तीन तकनीकी समितियों अर्थात् प्रतिपूर्ति तकनीकी समिति, फिनटेक तकनीकी समिति और क्षमता निर्माण तकनीकी समिति में नामित किया गया; और आईएडीआई के तीन कार्य समूहों अर्थात् ई-मनी वर्किंग ग्रुप, इमरजिंग ट्रेड्स वर्किंग ग्रुप और रेज़ोल्यूशन वर्किंग ग्रुप में नामित किया गया।

एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) के साथ सहभागिता

आईएडीआई ने अगले एपीआरसी अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए एक चेयरपर्सन इलेक्शन कमिटी (सीईसी) का गठन किया था। मुख्य महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी चेयरपर्सन इलेक्शन कमिटी (सीईसी) के सदस्य थे। कोरिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, श्री जेहून यू को 27 फरवरी 2025 से सर्वसम्मति से एपीआरसी का अध्यक्ष चुना गया है।

एपीआरसी अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण: डीआईसीजीसी ने एपीआरसी अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण पूरा कर प्रस्तुत कर दिया है।

कॉफी टेबल बुक - आईएडीआई - एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अगस्त 2024 में जयपुर में डीआईसीजीसी द्वारा आयोजित आईएडीआई - एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की यादगार फोटो वाली एक कॉफी टेबल बुक तैयार की गई थी और सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ साझा की गई थी।





SAFETY NET

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)



Issue 3



Inside This Issue

- Domestic Developments
 - Governance
 - Registered Banks
 - Coverage
 - Deposit Insurance Fund
 - Public Awareness
- International Development and Outreach
 - Engagement with IADI



Editor's Note



Anup Kumar
Editor
Chief General Manager
DICGC

We are pleased to release the third issue of the Safety Net. This issue highlights both domestic and international developments and outreach.

The domestic developments highlight the major developments in deposit insurance during the financial year 2024-25 as well as the Corporation's communication strategy and activities towards enhancing Public Awareness.

The section on international developments and outreach features DICGC's engagement with the International Association of Deposit Insurers (IADI).

Domestic Developments

Appointment of Chairman



Shri Swaminathan J., Deputy Governor, Reserve Bank of India was nominated as the Chairman of the Board of Directors of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) effective January 15, 2025. The 274th Board Meeting of the Corporation was held on March 20, 2025 at Mumbai under the Chairmanship of Shri Swaminathan J. Board members Shri Arnab Kumar Chowdhury, Shri Pankaj Sharma, Shri Shaji K.V., Prof. Partha Ray and Dr. Tarun Agarwal attended the meeting.

Governance

Remuneration of Directors and Members of Committees

The remuneration of Directors and Members of Committees have been enhanced with the amendment of Regulation 17 (Remuneration of Directors and Members of the Committees) of the DICGC General Regulations, 1961 as per the Government of India gazette notification on January 27, 2025 and is effective from February 01, 2025.

DICGC held a Strategy Meeting on the theme "Roadmap to Resilience" chaired by then Chairman Dr. M. D. Patra on September 19, 2024 at RBI Nagpur.

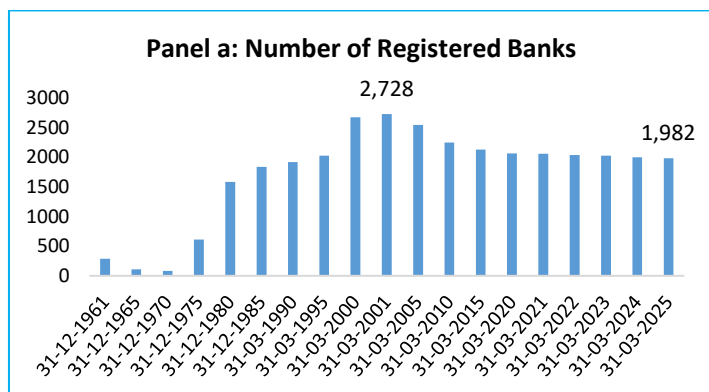


Registered Banks

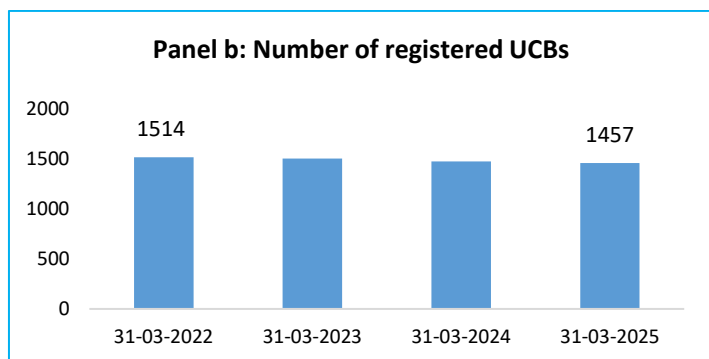
The deposit insurance scheme in India is mandatory for all banks (commercial and cooperative) that are licensed by the Reserve Bank. During the year 2024-25, 2 banks (1 foreign bank and 1 State Co-operative Bank) were registered with DICGC and 17 banks were deregistered (2 commercial banks and 15 cooperative banks).

	Banks Registered during the year	Banks De-registered during the year
Commercial Bank	UBS AG	- Fincare Small Finance Bank - Credit Suisse AG
Co-operative Bank	Daman & Diu: The Daman & Diu State Co-operative Bank	Andhra Pradesh: (i) Uravakonda Cooperative Town Bank Ltd, (ii) Durga Co-operative Urban Bank Ltd Assam: Mahabhairab Co-op Urban Bank Ltd. Bihar: The Vaishali Shahari Vikas Co-op Bank Ltd., Goa: Citizen Co-op. Bank Ltd., Karnataka: National Co-operative Bank Ltd Bangalore Maharashtra: (i) City Cooperative Bank Ltd., (ii) Rajapur Sahakari Bank Ltd., (iii) Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd., (iv) Pune Commercial Co-op Bank Ltd, (v) Jawahar Sahakari Bank Ltd., Tamil Nadu: Cuddalore & Villipuram D. C Co-op. Bank, Telangana: Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Co-operative Urban Bank Ltd., Uttar Pradesh: (i) Purvanchal Cooperative Bank, (ii) Banaras Mercantile Cooperative Bank.

As a result, the number of registered banks declined to 1,982 as on March 31, 2025 from 1,997 last year. There has been a continuous decline since 2001 when the number of registered banks was the highest at 2,728.

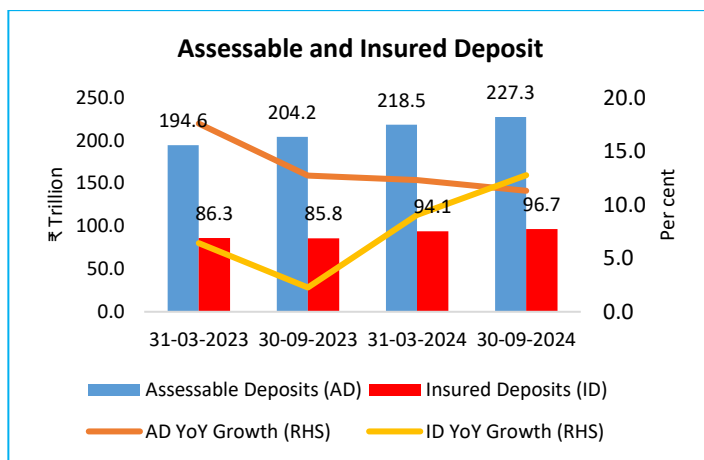


The registered banks included 139 commercial banks and 1,843 co-operative banks. The commercial banks include 77 scheduled commercial banks (SCBs), 43 Regional Rural Banks (RRBs) 11 Small Finance Banks (SFBs), 6 Payment Banks (PBs), and 2 Local Area Banks (LABs). The co-operative banks comprised of 1,458 Urban Cooperative Banks (UCBs), 34 State Cooperative Banks (StCBs) and 352 District Central Cooperative Banks (DCCBs).



Deposit Insurance Coverage

The total assessable deposit, i.e., the deposit eligible for deposit insurance, grew by 11.3% year-on-year to ₹ 227.26 trillion as at end-September 2024, while insured deposits grew at a marginally higher rate of 12.8%.

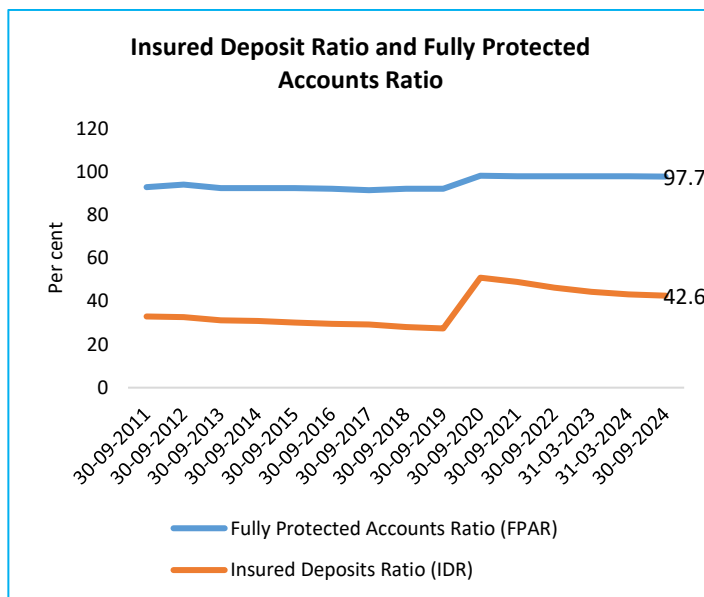


Assessable deposit

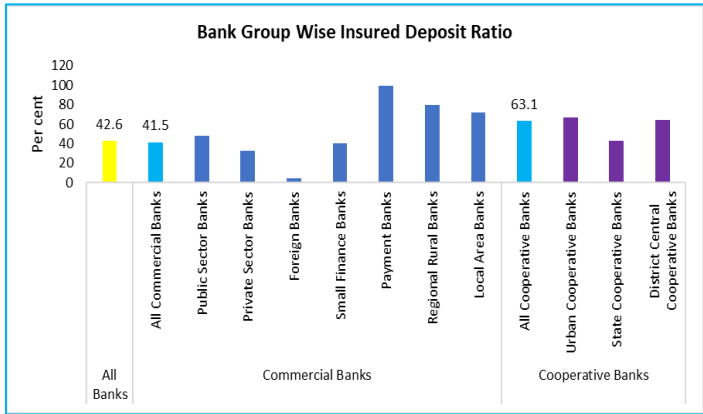
Assessable deposit includes all bank deposits except (i) deposits of Government of India, State Governments and foreign governments; (ii) inter-bank deposits; (iii) deposits received outside India; and (iv) deposits specifically exempted by the corporation with prior approval of the Reserve Bank.

Coverage ratios

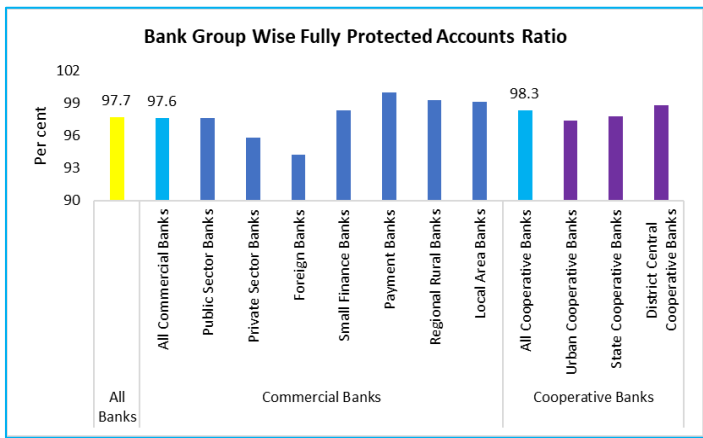
The current coverage limit of deposit insurance is ₹ 5 lakh per depositor of a bank for deposit accounts held 'in the same capacity and in the same right' which is effective from February 04, 2020. Under this coverage limit, the share of fully protected deposit accounts was 97.7% as on September 30, 2024 remaining consistently about 98% since 2020. The insured deposit ratio (share of insured deposits in total assessable deposits) was at 42.6%, which has declined from about 50.9% in 2020.



Cooperative banks had a higher insured deposit ratio at 63.1% while commercial banks reported 41.5%.



Similarly, Cooperative banks had a higher fully protected accounts ratio at 98.3 % while commercial banks reported 97.6%.



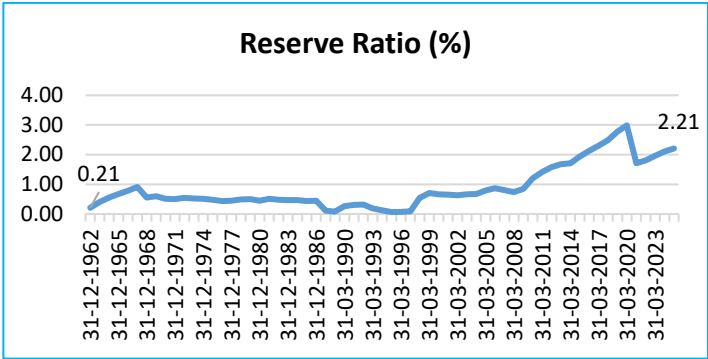
Sources and Uses of Funds

Premium

The DICGC levies banks a flat rate premium of 0.12 per cent per annum on the total assessable deposits for providing deposit insurance. During 2024-25, deposit insurance premium received was ₹ 26,764 crore, recording a y-o-y growth of 12.1 per cent.

Deposit Insurance Fund

The DICGC maintains a Deposit Insurance Fund (DIF) for the settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation/amalgamation or put under all-inclusive Directions. The Fund has been built up through transfer of its surplus, i.e., excess of income (mainly comprising premium received from insured banks, interest income from investments and cash recovery out of liquidation of assets of failed banks) over expenditure (payment of claims of depositors and related expenses) each year, net of taxes. The reserve ratio (i.e., Deposit Insurance Fund/Insured Deposits) was 2.21 per cent of the total insured deposit as on September 30, 2024 (2.02 per cent in the previous year). As on March 31, 2025 the DIF was ₹ 2,29,742 crore recording a y-o-y growth of 15.6 per cent over ₹1,98,753 crore as on March 31, 2024.



Public Awareness: DICGC Communication Strategy and Activities

New Website and Mascot

The new official was inaugurated on website November 05, 2024 by Dr. Michael D. Patra, then Deputy Governor of the Reserve Bank of India and Chairman of the DICGC. This milestone marks a significant enhancement in the Corporation's efforts to improve communication and outreach to the public. Consequent to the displaying of DICGC's QR Code and Logo on insured banks website, traffic to DICGC website has increased manifold. Along with the website launch, DICGC unveiled its new mascot, DIA, the wise owl. The 'DI' in DIA stands for DICGC, while the 'A' stands for Assistant, highlighting DIA's primary role of providing assistance and guidance to its stakeholders.

Social Media Presence

DICGC has expanded its digital presence by creating an Instagram account under the username 'dicgc.india' and a YouTube channel with the handle @dicgcindia.

Public Awareness Material

DICGC has developed and shared informative videos across various social media platforms, including Public App, Instagram, and YouTube. The video format ensures that key messages are conveyed to the diverse audience in a simplified and easy-to-understand manner.

Bilingual public awareness material (with new designs) was inter alia, displayed at Financial Literacy venue set up by Reserve Bank during Maha Kumbh, festival at Allahabad which incidentally is the largest human gathering in the world.

Claims Settlement/Reimbursement

During 2024-25, the total claims settled by the Corporation amounted to ₹ 476 crore.

Single Customer View

DICGC has developed a Single Customer View (SCV) application. This application would enable banks to aggregate account level information to depositor level and facilitate the preparation of depositor list. The application would aggregate accounts held 'in the same right and same capacity' and set-off loan amounts if any to arrive at the insured amount. The application is being rolled out to the banks under Phase 1 of implementation. Familiarization session on SCV application was conducted in multiple centres across the Country.

Know your DICGC

Insurance Operations Department

The Insurance Operations Department (IOD) of DICGC deals with all aspects pertaining to the registration and deregistration of banks for the deposit insurance scheme in India and collection of premium from the insured banks.

The deposit insurance scheme is mandatory for all commercial and co-operative banks operating in India. Accordingly, the Department processes the registration and deregistration of insured banks and then updates the list of insured banks, deregistered banks and banks under All-Inclusive Directions of the Reserve Bank of India on the DICGC website. The Department is involved in the computation of total assessable and insured deposits and booking of half-yearly premium of each insured bank through the Integrated Application Software Solution (IASS) portal. The Corporation collects insurance premia from insured banks for insuring deposits within the coverage limit of ₹5 lakh. Insured banks pay premium to DICGC at the rate 12 Paise per ₹100 of Assessable Deposits per year. The premium is paid semi-annually within two months from the start of each financial half year, based on their deposits at the end of previous half year. The premium is accompanied by a Deposit Insurance (DI) Return, which provides the details of assessable deposits.

International Development and Outreach

IADI Report 'Testing of Crisis Preparedness and Management: Overview, Practices and Experiences' – Highlights

The International Association of Deposit Insurers (IADI) has published a report 'Testing of Crisis Preparedness and Management: Overview, Practices and Experiences'. Some highlights are given below.

The Report presents the findings from a research project to review the evolution of testing programs for crisis preparedness and management across IADI members, identify emerging practices and provide insights on how testing is used to advance preparedness. Further, the report examines the connection between testing programs and real crisis events. The report presents the findings from the responses of nineteen IADI Members in the survey and six case studies.

- Objectives and Scope of testing programs have expanded over time: In many jurisdictions, testing exercises were initially done on an ad-hoc basis, typically focusing on evaluating deposit insurers' policies and procedures and validating the capacity to manage a payout and liquidation. As testing programs have matured, deposit insurers are taking a more rigorous approach to testing, with annual or multi-year frequency and clear processes for setting testing priorities. The scope of testing has, in many cases, also expanded to increasingly cover resolution preparedness as well as topics such as cybersecurity and third-party risk. Testing exercises conducted across the IADI membership have more frequently included other safety-net members, foreign authorities, and other external stakeholders, reflecting the importance of broader engagement and ex-ante coordination particularly when managing systemic risk.

- Connecting testing to real crisis events: Jurisdictions with recent experience in handling failures observe that their crisis response has benefited from these testing exercises. Failures and near-failure events have led to the development of new scenarios and prioritisation of future testing topics.
- Challenges: The lack of dedicated financial and human resources is the primary reason testing programs have not been introduced in some jurisdictions. frequent testing can lead to timelier and coordinated actions when managing live cases.

Going forward, IADI members should promote awareness of the exercises conducted by their jurisdictions and consider how to best share scenarios, resources, and respective learnings.

Source: IADI, [Testing of Crisis Preparedness and Management: Overview, Practices and Experiences - IADI | International Association of Deposit Insurers](#)

Engagement with IADI

DICGC has been a member of the International Association of Deposit Insurers (IADI) since 2005. Shri Arnab Kumar Chowdhury, Executive Director, DICGC was nominated as the Designated Representative of DICGC in IADI consequent to the superannuation of Dr. Deepak Kumar. He was also nominated as a member of three of the Council Committees of IADI, namely Analysis, Policy and Implementation Council Committees, and to the Asia Pacific Regional Committee (APRC).

To enhance DICGC's contribution to IADI, DICGC officials were nominated to three Technical Committees, viz., Reimbursement Technical Committee, Fintech Technical Committee and Capacity Building Technical Committee; and three Working Groups of IADI, namely E-money Working Group, Emerging Trends Working Group, and Resolution Working Group.

Engagement with Asia Pacific Regional Committee (APRC)

IADI had constituted a Chairperson Election Committee (CEC) to elect the next APRC Chairperson. CGM, DICGC was a member of the Chairperson Election Committee (CEC). Mr JaeHoon Yoo, Chairman of Korea Deposit Insurance Corporation has been unanimously elected as the Chairman of APRC w.e.f 27 February 2025.

APRC Semi-Annual Survey: DICGC had completed and submitted the APRC semi-annual survey.

Coffee Table book - IADI-APRC International Conference

A Coffee Table book featuring memorable photographs from the IADI-APRC International Conference hosted by DICGC in Jaipur in August 2024 was prepared and shared with the participants of the conference.

